# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427094

क्रमांक /टीसी/ 63 /उपां/रीवा/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक:- / /2019

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   **जिला रीवा (म.प्र.)।**
2. **संयुक्त संचालक,**
   **नगर तथा ग्राम निवेश,**
   **जिला कार्यालय, रीवा (म.प्र.)।**
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   **जिला पंचायत,**
   **जिला रीवा (म.प्र.)।**
4. **आयुक्त,**
   **नगर पालिक निगम, रीवा**
   **जिला रीवा (म.प्र.)।**

**विषय:-** रीवा विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत ( खसरा क्रमांक 6 का अंश भाग, 185/2, 162, एवं 294 ग्राम- चिरहुला-183, तहसील हुजूर रीवा)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा रीवा विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

**संलग्न:-यथोपरि।**

**(राहुल जैन)**
**संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल**

पृ.क्रमांक 3036 /टीसी/ 63/रीवा /उपां/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक:-27/5/ /2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

AOP1/AITO (Satokshi)

**(राहुल जैन)**
**संचालक**
**नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल**

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427094

## सूचना

भोपाल, दिनांक:- 27/5/ /2019

क्रमांक 3033 /टीसी/ 63 /उपां/नग्रानि/2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रीवा विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

### अनुसूची

| क्रं | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | चिरहुला-183 तहसील हुजूर जिला रीवा | 6 का अंश भाग | 0.474 | वर्तमान आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक | आवासीय (प्रधान मंत्री आवास योजना) |
| | | 185/2 | 4.858 | वर्तमान आवासीय, आमोद-प्रमोद (उद्यान) | आवासीय (प्रधान मंत्री आवास योजना) |
| | | 162 | 2.914 | प्रस्तावित आवासीय, आमोद-प्रमोद (वृक्षारोपण) एवं मार्ग | आवासीय एवं मार्ग (प्रधान मंत्री आवास योजना) |
| | | 294 | 0.166 | प्रस्तावित आवासीय, आमोद-प्रमोद (उद्यान) | आवासीय (प्रधान मंत्री आवास योजना) |
| | | योग:- | 8.412 हेक्टेयर | | |

शर्तः–

*"आमोद–प्रमोद के अन्तर्गत उद्यान एवं वृक्षारोपण से प्रभावित भूमि के दोगुने क्षेत्रफल की भूमि, उक्त उपयोग हेतु आरक्षित करना होगा तथा उसके विकास हेतु नगर पालिक निगम रीवा के बजट में प्रावधान करना आवश्यक होगा ।"*

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रीवा को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)
संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल